

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 772]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2025 — अश्विन 9, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/18/3040.-छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/18/1082 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

2// पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला कोरबा में विद्यमान 41 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 19 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कोरबा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ/एफ 15-11/15-02/2025/18/1906 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई, जिसमें संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3// निर्धारित समयावधि में जिला कोरबा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 01 अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण किया गया। पुनर्गठन योजना, 2025 में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने के कारण प्राप्त आवेदन अमान्य किया गया।

4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/18/1082 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन, एतद्वारा, जिला कोरबा में विद्यमान 41 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो में उल्लेखित 19 नवीन सोसाइटी का गठन करने की कार्यवाही हेतु “जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ:- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03 पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके, या

- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से –

- (क) “अनुसूची-एक” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) “अनुसूची-दो” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) “अनुसूची-तीन” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में किया जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो/मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।

(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार /रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियाँ :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची – एक, दो एवं तीन।

जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	निरंक		

**जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों
की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची – दो**

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	भैंसमा	कुदुरमाल	कुदुरमाल, देवरमाल, अखरापाली, बरीडीह, कटबितला, उरगा, सेमीपाली, बरबसपुर
2	कोरकोमा	चचिया	तौलीपाली, कुदमुरा, चचिया, मदनपुर, पसरखेत,
3	जवाली	रंजना	झाबर, बतारी, बिंझरी, रंजना, डुरैना, देवगांव, फुलझर, झालकछार, दीपका, पुरेनाखार, मलगांव, बेलटिकरी, राल, बसंतपुर, डोकरीखार
4	जटगा	तुमान	तुमान, डोंगरतराई, बरतराई, कुटेशरनगोई, अमलडीहा, भुलेझरिया, पचधार, अमझर, डुमरमुड़ा, पोंडीगोसाई, बरबसपुर, छेवधरा, खोडरी, बनवार, पुटुवा, बनखेता, कांसामार,
5	बिंझरा	तानाखार	तानाखार, बरपाली, अमलीभवना, घरीपखना, घुंचापुर, केनाडांड, बांझीबन, हथमार, गुडरुमुडा, कोड़ा, डंगनिया, दर्भाठा, सिरकीकला, रामपुर, आमाखोखरा, कापुबहरा, जुराली, कसनिया
6	सिरमिना	नवापारा(सि०)	नवापारा(सि.), सिमगा, घोंसरा, पालदुरेना, कोठीखर्वा, सरपता, जामकछार, गडरा
7	कोरबी 3088	परला	परला, कापानवापारा, मड़ई (हरमोड़), लमना, चोटिया, बनिया, घुंचापुर, लालपुर, लाद
8	पाली	बक्साही	बक्साही, चेपा, हरनमुड़ी, तालापार, राहाडीह (तालापार), मुनगाडीह, डोंगानाला, गणेशपुर (डोंगानाला), खैराडुबान, सेमरकछार (खैराडुबान)
9	निरधी	परसदा	परसदा, बापापुती(परसदा), शिवपुर

10	चैतमा	डोंडकी	डोंडकी, नवापारा (बम्हनीखुर्द), पटपरा, नानबांका, बडेबांका, मदनपुर, सगुना
11	उतरदा	बोईदा	ओझियाईन, बोईदा, मुरली, कसियाडीह, झांझ
12	हरदीबाजार	नोनबिरा	उड़ता, छिन्दपानी, तिवरता, नोनबिरा, पखनापारा, पुटा, रतिजा, लिटियाखार
13	कोरबी 304	ढोलपुर	ढोलपुर, खम्हरिया, जोरहाडबरी
14	करतला	केरवाद्वारी	सेन्द्रीपाली, केरवाद्वारी, नोनबिरा, बोडाछाप डोंगाआमा, श्रीमार, बांधापाली, पिडिया
		मदवानी	चोरभट्टी, कछार
15	रामपुर		मदवानी, चारमार,
16	नवापारा	खुंटाकुड़ा(बेंहरचुवा)	बेंहरचुवा, सुवरलोट, खुंटाकुड़ा, बोकरदा
17	चिकनीपाली	छातापाट(लबेद)	लबेद, कांशीपानी, सुपातराई, रीवाबहार
	तुमान		जामपानी, छातापाट
18	बरपाली	पुरैना	पुरैना, जर्वे
19	सुखरीकला	कर्रापाली (उमरेली)	उमरेली, कर्रापाली, टोण्डा, लीमगांव, ढिटोरी, सराईपाली

जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें आपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			